अत्यन्त महत्वपूर्ण
विधानसभा

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
कार्यालय उद्योग आयुक्त
उद्योग सदन, 419, औद्योगिक क्षेत्र
पटपड़गंज, दिल्ली–92

फा0 सं सी.आई./डी.सी.आई./क्यू.सी./2018/531-538 दिनांक: 6/8/18

सेवा में,

उप सचिव(प्रश्न शाखा)
दिल्ली विधानसभा सचिवालय,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
पुराना सचिवालय, दिल्ली –54.

विषय: दिल्ली विधानसभा तारांकित/अतारांकित प्रश्न संख्या 178 दिनांक 08.08.2018 को सदन की बैठक हेतु ।

महोदय,

आपको उपरोक्त विषय में उद्धत विधानसभा प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियां, माननीय मंत्री, उद्योग विभाग, दिल्ली सरकार, द्वारा अनुमोदित अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न है ।

भवदीया,

संलग्नः उपरोक्तानुसार

लक्ष्मी कृष्णन
(लक्ष्मी कृष्णन)
उपायुक्त उद्योग (प्र0शा0)

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, माननीय उद्योग मंत्री, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को प्रश्न के उत्तर की दो प्रतियां सहित ।
2. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली को प्रश्न के उत्तर की 150 प्रतियों सहित ।

लक्ष्मी कृष्णन
उपायुक्त उद्योग (प्र0शा0)

विभाग का नाम :– कार्यालय आयुक्त उद्योग
विभाग का पता:–कार्यालय आयुक्त उद्योग, उद्योग सदन, 419, औद्योगिक क्षेत्र
पटपड़गंज, दिल्ली–110092

अतारांकित प्रश्न संख्या : 178
दिनांक : 08/08/2018
प्रश्नकर्ता का नाम : श्री आदर्श शास्त्री

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

प्रश्न सं0	प्रश्न	उत्तर
क	लोगों को रोजगार और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय और पिछले तीन वर्षों में नये व्यापारिक संस्थानों की स्थापना की जानकारी:	लोगों को स्वरोजगार एवं मान्य व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये है:– 1. जी.एस.टी. पंजीकरण को ऑनलाईन कर दिया गया है। जी.एस.टी. पंजीकरण के पहले निरीक्षण की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। 2. दिल्ली शॉप एण्ड एस्टेवलिसमेन्ट एक्ट के तहत दुकानों का पंजीकरण एवं उद्योग आधार मेमोरेन्डम को ऑनलाईन कर दिया गया है। जो कि आवेदकों को तत्काल प्रदान कर दिया जाता है। 3. व्यवसायिक, औद्योगिक सहित सभी प्रकार के मकानों के नक्शे स्वीकृति हेतु सिंगल बिन्डो क्लेरेन्स सिस्टम लागू किया गया है। 4. बिजली एवं पानी के नए कनेक्शन पाने के लिए आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाईन कर दी गई है साथ ही इनके बिलों का भुगतान भी ऑनलाईन कर दिया गया है। 5. दिल्ली खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड दो योजनाओं का कार्यान्वन करता है. उनके नाम हैं अ. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, (प्र. रो.सृ.का.) ब. राजीव गांधी स्वावलंबन रोजगार योजना (रा.गा.स्वा.रो.यो.) पिछले 3 वर्षों में औद्योगिक एवं व्यापारिक संस्थानों की संख्या में बढ़ोत्तरी उद्योग आधार पोर्टल पर दर्ज है, जो निम्नलिखित है :– वर्ष 2015–16 – 5823 वर्ष 2016–17 – 6717 वर्ष 2017–18 – 7441
ख	दिल्ली के अन्दर इंडस्ट्रीयल एरिया कहां–कहां हैं, इन विशेष क्षेत्रों में किस प्रकार की इंडस्ट्री लगाई जा सकती है:	वांछित सूचना संलग्नक (क) व (ख) पर संलग्नित है।
ग	इंडस्ट्रीयल एरिया के विकास और नई इंडस्ट्री खड़ी करने के लिए सरकार द्वारा किस प्रकार के उपाय किए गए हैं, पिछले 3 सालों का विस्तृत विवरण,	उद्योग विभाग/डीएसआईआईडीसी दिल्ली में तीन नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर रही है:- 1. मल्टी लेवेल मेनुफैक्चरिंग हब, रानी खेड़ा, मुंडका

		डीएसआईआईडीसी द्वारा रानी खेड़ा में 147 एकड़ भूमि पर बहुमंजिला औद्योगिक समूह जिसमें लघु एवं सेवा से सम्बन्धित प्रदूषण रहित एवं शून्य जल निस्तारक लघु और सेवा से सम्बन्धित उद्योग स्थापित करने के लिए आधारभूत संरचना विकसित किया जा रहा हैं। 2. नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज, आई.टी. पार्क, बापरोला। डीएसआईआईडीसी द्वारा 52 एकड़ भूमि पर बापरोला में सूचना प्रायोद्यिकी से सम्बन्धित प्रदूषण रहित एवं शून्य जल निस्तारक उद्योग स्थापित करने के लिए आधारभूत संरचना विकसित किया जा रहा हैं। 3. इन्टीग्रेटेड इंडसट्रियल टॉउनसिप, कन्झावला डीएसआईआईडीसी द्वारा कन्झावला में 920 एकड़ भूमि पर लघु एवं सेवा से सम्बन्धित प्रदूषण रहित उद्योग स्थापित करने के लिए आधारभूत संरचना विकसित किया जा रहा हैं।
घ	दिल्ली की आबादी को देखते हुए, रोजगार और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए क्या सहयोग उपलब्ध कराए जाते हैं, और	रोजगार एवं व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड दो निम्नलिखित योजनाओं का कार्यन्वन करता है। 1. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम : प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम भारत सरकार की योजना है। इसके अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों हेतु 25 लाख एवं सेवा उद्योगों हेतु 10 लाख रुपये तक की ऋण राशि बैंकों के माध्यम से प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत आवेदक की पात्रता के अनुसार 15 से 35 प्रतिशत तक मार्जिन मनी का प्रावधान है। 2. राजीव गांधी स्वावलंबन रोजगार योजना : राजीव गांधी स्वावलंबन रोजगार योजना दिल्ली सरकार की सहायता से दिल्ली खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित है। इसके अंतर्गत बोर्ड द्वारा 3.00 लाख रुपये तक की धनराशि दिल्ली मास्टर प्लान–2021 के अनुमन्य उद्योगों, व्यवसायों के लिए प्रदान की जाती है। ऋण पर अधिकतम 7500/– रु0 तक की छूट का प्रावधान तथा वसूली की अवधि 5 वर्ष है।
ड	क्या यह सत्य है कि क्षेत्र के विकास के साथ–साथ रोजगार के अवसर पैदा करने उद्देश्य से हर विधानसभा में कुछ इंडस्ट्रीज की स्थापना करने की योजना पर सरकार विचार कर रही है?	ऐसी कोई योजना (विधानसभा क्षेत्रवार) विचाराधीन नही है।

(लक्ष्मी कृष्णन)
उपायुक्त (उद्योग)

स्वीकृत औद्योगिक क्षेत्रों की सूची (संलगनक क)

1. जी.टी. करनाल रोड औद्योगिक क्षेत्र।
2. राजस्थानी उद्योग नगर औद्योगिक क्षेत्र।
3. एस.एम.ए. औद्योगिक क्षेत्र।
4. एस.एस.आई. औद्योगिक क्षेत्र।
5. वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र।
6. लावरान्स रोड औद्योगिक क्षेत्र।
7. उद्योग नगर औद्योगिक क्षेत्र।
8. डीएसआईआईडीसी शेड्स, नागंलोई
9. मंगोलपुरी औद्योगिक क्षेत्र (डीडीए एवं डीएसआईआईडीसी)
10. बादली औद्योगिक क्षेत्र।
11. नरेला औद्योगिक क्षेत्र।
12. बवाना औद्योगिक क्षेत्र।
13. ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–I & फेस –II
14. ओखला औद्योगिक राज्य, फेस–III
15. कार्यात्मक औद्योगिक क्षेत्र इलेक्ट्रोंनिक्स, एस–ब्लॉक, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस–II
16. कार्यात्मक औद्योगिक क्षेत्र इलेक्ट्रोंनिक्स, ए–ब्लॉक, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस–II
17. मोहन सहकारी औद्योगिक क्षेत्र।
18. रानी झासी रोड।
19. शाहजेदा बाग औद्योगिक क्षेत्र।
20. झिलमिल औद्योगिक क्षेत्र।
21. फ्रैन्डस कॉलोनी औद्योगिक क्षेत्र, शाहदरा।
22. पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र।
23. शाहदरा औद्योगिक क्षेत्र।
24. नारायना औद्योगिक क्षेत्र फेस–I & फेस–II
25. मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र फेस–I & फेस–II
26. तिलक नगर औद्योगिक क्षेत्र।
27. कीर्ति नगर औद्योगिक क्षेत्र ।
28. डी.एल.एफ. औद्योगिक क्षेत्र, मोती नगर।
29. नजफ़गढ़ रोड औद्योगिक क्षेत्र।
30. फ्लेटेड फैक्ट्रीज कॉम्पलेक्स, रानी झासी रोड।
31. फ्लेटेड फैक्ट्रीज, कॉम्पलेक्स, औखला।
32. फ्लेटेड फैक्ट्रीज, लेथार गूड्स, वज़ीरपुर औद्योगिक क्षेत्र।
33. फ्लेटेड फैक्ट्रीज कॉम्पलेक्स, झिलमिल औद्योगिक क्षेत्र।

तालिका 7.1: विभिन्न उपयोग जोनों और उपयोग परिसरों में औद्योगिक इकाइयों के लिए मानदण्ड

उपयोग जोन/ उपयोग परिसर	अनुमत समूह (अनुबंध देखें)	शर्तें	
		श्रमिकों की अधिकतम संख्या	अधिकतम औद्योगिक पावर भार(कि0वा0)
आवासीय उपयोग			
क) आवासीय	ए	5	5
ख) गांव (आबादी)	ए+ए 1	5	5
व्यावसायिक उपयोग			
क) सुविधा बाजार स्थानीय बाजार	ए+ए 1+बी	5	11
ख) समुदाय केन्द्र	अनुमेय उद्योगों		
ग) जिला केन्द्र	की सेवा/मरम्मत	9	11
घ) सर्विस मार्किट, सर्विस सेंटर	पेकेजिंग/असैम्बली (बिना विनिर्माण)	19	11
औद्योगिक उपयोग			
क) प्लाटीकृत विकास	निषेध और प्रदूषण फैलाने वाले एवं हानिकर उद्योगों को छोड़कर सभी उद्योग	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
ख) फ्लैटेड उद्योग	निषेध उद्योगों को छोड़कर सभी उद्योग, एवं प्रदूषण रहित और गैर–हानिकर प्रकृति के उद्योग, शोर/पानी/वाइब्रेशन/गंध द्वारा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को छोड़कर	20	आवश्यकतानुसार

टिप्पणी:

1) श्रमिकों की अधिकतम संख्या सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचना के अनुसार होगी।

2) प्रदूषण नियन्त्रण साधनों और अविनिर्माण उपयोग को चलाने के लिए अपेक्षित पावर उल्लेखित स्वीकार्य भार के अतिरिक्त होगी।

3) विकासशील केन्द्रों (ग्रोथ सेन्टरों में) विद्यमान औद्योगिक सम्पदाएं औद्योगिक उपयोग के रूप में मानी जाएंगी।

7.4 घरेलू/सेवा उद्योग

1) अधिकतम 5 कर्मचारियों और 5 कि0वा0 पावर सहित घरेलू औद्योगिक इकाइयों की अनुमति आवासीय क्षेत्रों में दी जानी चालू रखी जाए और इस प्रकार की नई औद्योगिक इकाइयों की अनुमति आवासीय क्षेत्रों में इस शर्त के साथ दी जाए कि किसी भी प्रदूषण वाली औद्योगिक इकाई की अनुमति घरेलू उद्योग के रूप में नहीं दी जाएगी।

2) औद्योगिक इकाइयों की अनुमति केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अनंतिम पंजीकरण के बाद ही दी जाए।

3) घरेलू औद्योगिक इकाइयों की अनुमति किसी भी तल पर आवासीय इकाई के अनुज्ञेय भू तल कवरेज की 50% सीमा तक दी जाएगी।

4) घरेलू उद्योगों की सूची में और परिवर्धन/परिवर्तन, यदि केन्द्रीय सरकार उचित और जनहित में समझे, किया जा सकता है।

5) किसी भी ज्वलनशील अथवा खतरनाक पदार्थ के स्टोर करने की अनुमति नहीं है।

6) घरेलू उद्योग स्थापित करने के लिए अलग औद्योगिक बिजली का कनैक्शन(सिंगल फेस) लगवाना जरूरी होगा। इसी प्रकार नगरपालिका का लाइसेंस भी आवश्यक होगा।

अनुबंध—I

उद्योगों का वर्गीकरण

समूह—क

घरेलू उद्योग

1. अगरबत्ती और समतुल्य उत्पाद।
2. एल्यूमीनियम के हैंगर (वायर ड्राइंग और एनोडाइज़िंग को छोड़कर)
3. आयुर्वेदिक/होमियोपैथिक/यूनानी दवाएं।
4. इलैक्ट्रोनिक सामान की असेम्बली और मरम्मत।
5. सिलाई मशीन की असेम्बली और मरम्मत।
6. हाथ के औज़ारों की असेम्बली।
7. बैडमिंटन शटल कौक्स की असेम्बली।
8. बिजली के सामान, कूलर, हीटर आदि की असेम्बली और मरम्मत।
9. टाइपराइटर की असेम्बली और मरम्मत (फौन्ट कास्टिंग को छोड़कर)।
10. बैकेलाइट स्विचों की असेम्बली।
11. मापन उपकरणों की असेम्बली और मरम्मत (पारा और खतरनाक सामग्रियों को छोड़कर)
12. आटा चक्की।
13. बटिक कार्य।
14. ब्लॉक बनाना और फोटो एनलार्जिंग।
15. बिस्कुट, पापे, केक और कुकी उत्पादन।
16. बटन बनाना, बटन और हुक लगाना।
17. जिल्दसाज़ी।
18. ब्रश और झाड़ू (हाथ द्वारा बनाना)।
19. केलिको और वस्त्र उत्पाद।
20. केन और बांस उत्पाद।
21. कैसिट रिकार्डिंग।
22. क्ले और मॉडलिंग प्लास्टर आफ पैरिस द्वारा/ बिना इसके।
23. क्वायर और जूट उत्पाद।
24. कार्डबोर्ड बाक्स।
25. मोमबत्ती।
26. कॉपर एवं ब्रास आर्टवेयर।
27. कॉरडिज, रस्सी बनाना और बटना (ट्विन)।
28. बढ़ईगीरी ।
29. कॉनटैक्ट लैन्स।
30. कैनवस बैग और हॉलडॉल बनाना।
31. कैन्डीज, मिठाई, रसमलाई आदि (डिब्बा बंद न करने पर) ।
32. सूती/रेशमी छपाई (हाथ द्वारा) ।
33. कम्प्यूटर मरम्मत और साइबर सूचना केन्द्र ।
34. कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर ।
35. दरी और कालीन बुनाई ।
36. डिटरजेंट (भट्टी के बिना)
37. डाटा प्रोसेसिंग।
38. डेरी उत्पाद अर्थात् क्रीम, घी, पनीर आदि ।
39. ड्राईक्लीनिंग (बड़े वर्कशॉप को छोड़कर)।
40. डेस्क टॉप पब्लिशिंग ।
41. कढ़ाई ।
42. इनैमलिंग विटरस (कोयले के उपयोग के बिना) ।
43. तस्वीर और शीशों के फ्रेम बनाना ।

44. फाउंटेन पैन, बॉल पैन और फैल्ट पैन ।
45. सोने चांदी के धागे, कालाबद्दू ।
46. हौजरी उत्पाद (रंगाई और ब्लीचिंग को छोड़कर) ।
47. कढ़ाई वाले हैट, टोपी, पगड़ी कढ़ाई सहित।
48. सूचना प्रौद्योगिकी एनेबल्ड सर्विसेज
49. फाउन्टेन पैन के लिए स्याही बनाना।
50. इन्टरलौकिंग और बटनिंग।
51. ज्वैलरी वस्तुएं।
52. खादी और हथकरघा।
53. खसटैटिस
54. बुनाई कार्य
55. लाख के उत्पाद।
56. चमड़े के जूते।
57. चमड़े की बेल्ट और बक्कल की असेम्बली (हाथ द्वारा) ।
58. चमड़े एवं रेक्सीन से बनी वस्तुएं।
59. दूध क्रीम आलग करना।
60. जूट उत्पादों का उत्पादन।
61. बिन्दी उत्पादन।
62. नेम प्लेट बनाना।
63. निम्नलिखित मदों का उत्पादन :
    (i) ब्लैन्को केक्स
    (ii) ब्रुश
    (iii) कुल्फी एवं कनफैक्शनरी ।
    (iv) मोमी रंग ।
    (v) जैम, जैली, फल परिरक्षण
    (vi) संगीत यंत्र (मरम्मत सहित)
    (vii) लाख के और इससे मिलते जुलते कार्य ।
    (viii) पर्स, हैंड बैग आदि जैसे चमड़े के सजावटी सामान ।
    (ix) छोटे इलैक्ट्रोनिक पुर्जे ।
64. कागज़ स्टेशनरी मदें और जिल्दसाजी ।
65. पिथ हैट, फूलों की मालाएं और पिच ।
66. पी.वी.सी. उत्पाद (अधिकतम एक मोल्डिंग मशीन)
67. पेपर मशीन ।
68. सुगन्धित एवं सौन्दर्यवर्धक वस्तुएं ।
69. फोटो सैटिंग ।
70. फोटो स्टेट और साइक्लोस्टाइलिंग ।
71. ड्राइंग की फोटो कापी तथा ड्राइंग एवं डिजाइन बड़े करना ।
72. शैम्पू पैक करना ।
73. केश तेल पैक करना।
74. वड़ी, पापड़ इत्यादि बनाना ।
75. मसाले, गरम मसाले, मूँगफली और दाल इत्यादि का संसाधन ।
76. पान मसाला ।
77. मिठाई एवं नमकीन उत्पादन (एक टन/प्रतिदिन से कम)।
78. पेपर मैश ।
79. कागज़ के कप, प्लेट, फाइल कवर और लैटर पैड (मुद्रण रहित) ।
80. फोटोग्राफी (डेवलपिंग और प्रिंटिंग)

81. घड़ियों और घंटा घड़ियों की मरम्मत ।
82. राखी बनाना ।
83. घरेलू बिजली के उपकरणों की मरम्मत ।
84. तैयार वस्त्र (बिना धोए)।
85. साइकिलों की मरम्मत ।
86. कम्प्यूटर हार्डवेयर की मरम्मत एवं असेम्बली ।
87. बैग ब्रीफकेस, सूटकेस की मरम्मत, चमड़े और पी.वी.सी. सामग्रियों को छोड़कर ।
88. पानी के मीटर, स्टेबलाइज़र, यू.पी.एस. आदि की मरम्मत ।
89. रबड़ की मोहरें।
90. शिला तक्षण/पत्थर पर नक्काशी।
91. खेल का सामान/खेल के नेट ।
92. सर्जिकल बैन्डेज रोलिंग और कटिंग ।
93. स्टोव पाइप, सेफ्टीपिन, एल्यूमिनियम के बटन (हैंड प्रैस से)।
94. सिल्वर फॉइल बनाना।
95. साड़ी फॉइल बनाना ।
96. जूतों के तस्मे ।
97. स्टैम्प पैड ।
98. स्क्रीन प्रिंटिंग ।
99. टेलरिंग
100. धागे के गोले और रूई भराई ।
101. खिलौने और गुड़िया।
102. टाई।
103. टमाटर कैचप ।
104. छतरी बनाना ।
105. बर्तन धोने का पाउडर (केवल मिलाना और पैक करना)।
106. वैलवेट की कढ़ाई के जूते/शौल।
107. वरमिसेली, मैकरौनी।
108. काष्ठ नक्काशी और सजावटी लकड़ी का सामान।
109 ऊन के गोले और लैशी बनाना।
110 लकड़ी और गत्ते के आभूषण के डिब्बे (विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने की शर्त पर)।
111. ऊनी बुनाई (मशीन से)।
112. ज़री जरदोज़ी।

समूह क–1

गांवों (आबादी) में अनुमेय घरेलू उद्योग

1. लोहार गिरी।
2. केन और बांस उत्पाद।
3. चिकनी मिट्टी और प्लास्टर ऑफ पेरिस की/बिना इसके मॉडलिंग।

4. दरी, कालीन/साड़ी बुनाई (डाईंग और ब्लीचिंग को छोड़कर)।
5. रेफरीजरेशन द्वारा आइसक्रीम और जल शीतलन (बिना कोल्ड स्टोरेज)
6. शिलातक्षण (नक्काशी)।
7. ग्रामीण पौटरी उद्योग (भट्टी के बिना)।
8. ग्रामीण तेल घानी।
9. काष्ठ नक्काशी तथा सजावटी और लकड़ी का सामान।

समूह 'क' एवं 'क'–1 में उल्लिखित कोई भी उद्योग निम्नलिखित कार्य नहीं करेंगे।

(i) एनोडाइजिंग
(ii) ब्लीचिंग
(iii) कोयल जलाना
(iv) केनिंग सुविधा
(v) रंगाई
(vi) इलैक्ट्रोप्लेटिंग
(vii) मोल्डिंग कार्य
(viii) सी.एफ.सी. गैस का उपयोग
(ix) वार्निशिंग
(x) धुलाई

टिप्पणी :

1. खतरनाक रसायन विनिर्माण भण्डारण और आयात नियम 1989 की अनुसूची–1 और/या–2 और सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1990 में सूचीबद्ध रसायनों को जमा करने का प्रतिबंध है ।
2. इकाइयों द्वारा किसी भी प्रकार के कूड़े का निस्सरण/छोड़ने की अनुमति नहीं होगी और ये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यथा निर्धारित ध्वनि मानकों का पालन करेंगी ।

अनुबंध–II

समूह–ख

व्यावसायिक केन्द्रों में अनुमेय उद्योग :

1. एअर कंडीशनर पार्ट्स
2. एल्यूमीनियम दरवाजे/खिड़कियां/फिटिंगें/फर्नीचर
3. साइकिलों की असेम्बली और मरम्मत
4. ऑटो पार्ट्स
5. बैल्ट और बकल्स
6. बल्ब (बैटरीज़)
7. वस्त्र–रंगाई
8. कपास ओटना
9. साइकिल चेन/लॉक
10. हीरे की कटिंग और पॉलिस–कार्य
11. बिजली फिटिंग्स (स्विच,प्लग,पिन आदि)
12. इलास्टिक उत्पाद

13. इंजीनियरिंग कार्य
14. फाउन्ड्री (लघु कार्य)
15. रेफरीजरेशन द्वारा आइसक्रीम और जल शीतलन (बिना कोल्ड स्टोरेज)
16. आइसबॉक्स और कूलर बॉडी
17. आयरन ग्रिल्स और दरवाजे बनाना
18. जूट उत्पाद
19. चाबी के छल्ले (की रिंग्स)
20. चाकू बनाना
21. मार्बल स्टोन की चीजें
22. मेटल लेथ कटिंग
23. मोटर वाइंडिंग कार्य
24. प्रिंटिंग प्रेस
25. स्क्रू एवं नेल्स
26. कैंचियां बनाना
27. चश्मे और ऑप्टीकल फ्रेम
28. स्टील फर्नीचर/अलमारियां
29. स्टील लॉकर्स
30. स्टील स्प्रिंग्स
31. सर्जिकल उपस्कर और उपकरण
32. टेबल लैम्प और शेड्स
33. टिन—बॉक्स बनाना
34. ट्रांसफॉर्मर कवर
35. टी वी/रेडियो, कैसेट रिकार्डर आदि
36. टी वी/रेडियो/ट्रांजिस्टर कैबीनेट
37. टाइपराइटर पार्ट्स विनिर्माण और असेम्बली
38. वाटर मीटर मरम्मत करना
39. वाटर टैंक
40. वेल्डिंग कार्य
41. तार बुनना
42. लकड़ी का फर्नीचर कार्य
43. सूचना प्रौद्योगिकी और एनेब्लड सर्विसेज